an>

Title: Regarding recent order of Delhi High Court in respect of administrative hierarchy in Delhi.

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदया, दिल्ली की जनता पिछले डेढ़-दो साल से परेशानी अनुभव कर रही है और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ठप्प हो गया है और यह नेताओं के अहम 'मैं बड़ा या तू बड़ा' के कारण है।...(व्यवधान) दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस संबंध में स्पष्टता कर दी है और कह दिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन होगा।...(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार और गृह मंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि वह दिल्ली सरकार को इसकी स्पष्टता कर दे कि एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है और वह काम करते रहेंगे।...(व्यवधान) इसके अलावा प्रतिदिन के जो कार्य रुके हुए हैं, उनको पूरा किया जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरो प्रसाद मिश्र को डॉ. किरीट सोमैया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।